UPCD010028312026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।
उपस्थितः अशोक कुमार–XI, एच.जे.एस.
J.O.Code - U.P. 6128

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 391 सन् 2026

संतोष सोनकर पुत्र खट्टू सोनकर प्रति उत्तर–प्रदेश राज्य।

मु.अ.सं. : 318/2026
धारा : 221,224,125,190,191(3),309(4),115(2),110 352, 351(3) व 317(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम
थाना : मुगलसराय, जनपद : चन्दौली

दिनाँकः 13.07.2026,

1. प्रार्थी/अभियुक्त संतोष सोनकर पुत्र खट्टू सोनकर उपरोक्त की ओर से थाना–मुगलसराय, जनपद–चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 318/2026 अन्तर्गत धारा– 221, 224, 125, 190, 191(3), 309(4), 115(2), 110, 352, 351(3) व 317(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के तहत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त व शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त उपरोक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न ही प्रस्तुत है न ही लम्बित है और न ही निस्तारित ही है।

2. **अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि;**

3. वादी मुकदमा वीर बहादुर रा.नि. क्षे. चंदरखा तहसील पं0दीन दयाल उपाध्याय नगर जनपद चन्दौली स्थायी पता नगवॉ, लंका, वाराणसी का निवासी है। दिनांक 27.06.2026 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट मंतरा देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी एण्ड टू अदर्श रिट संख्या सी43529/2025 में निर्गत आदेश दिनांक 09.03.2026 के समादर में ग्राम कबीरपुर परगना राल्हूपुर तहसील पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर स्थित गाटा संख्या– 11 रकबा 0.804 हे0 का उ0प्र. रा.सं. 2006 के धारा 24 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी पं0दीन दयाल उपाध्याय नगर द्वारा पुष्ट पत्रावली के आदेश दिनांक 23.09.2022 का मौके पर अनुपालन कराने हेतु राजस्व टीम व पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित हुए तथा पुष्ट फील्डबुक के आधार पर सीमांकन की कार्यवाही प्रारम्भ किए सीमांकन कार्यवाही के दौरान सतीश सोनकर पुत्र पप्पू सोनकर, शिवम सोनकर पुत्र पप्पू सोनकर व सुशील सोनकर पुत्र पप्पू सोनकर व शनि सोनकर पुत्र पप्पू सोनकर सभी निवासीगण कबीरपुर द्वारा सीमांकन कार्य का विरोध करने लगे तभी जरीब छीनकर सीमांकन कार्य रूकवाने का प्रयास करने लगे। उक्त घटना के बावत पुलिस टीम की महिला आरक्षी रिशू सिंह बीच–बचाव करते हुए वीडियो

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2026.07.13 17:00:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बनाने के उद्देश्य से जैसे ही अपना मोबाइल फोन निकाली ही थी कि अभियुक्त उपरोक्त व उनके घर की महिलायें गीता देवी पत्नी पप्पू सोनकर, नगीना कुमारी पुत्री पप्पू सोनकर, सोनी पत्नी दिलीप सोनकर व घर के कुछ अन्य लोग एक राय होकर महिला आरक्षी का मोबाइल फोन ओपो के–10 मोबाइल नम्बर 6388912854 छीन लिए तथा जान से मारने की नीयत से पटककर उनका गला दबाने लगे व मारने पीटने लगे जिससे महिला आरक्षी रिंसू सिंह मौके पर ही बेहोश हो गयी। बीच बचाव के लिए मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी दौड़े तो उन पर व राजस्व टीम पर भी ईट पत्थर चलाने लगे जिससे मौके पर भगदड़ मच गयी व लोक शान्ति भंग हो गयी। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी व राजस्व कर्मियो द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग कर महिला आरक्षी को बचाया तथा दवा ईलाज हेतु भेजा गया तथा मौके पर मौजूद राजस्व टीम को भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए सभी लोग पैमाइश किए जाने पर गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। सन्तोष सोनकर पुत्र खट्टू सोनकर भी घटना में शामिल रहे।

4. अभियुक्त संतोष सोनकर उपरोक्त का अपने इस प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में यह कहना है कि थाना उपरोक्त की पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को झूठे कथानक के आधार पर मामले में नामित की है। अभियोजन का सम्पूर्ण कथानक असत्य है। प्रार्थी/अभियुक्त कथित घटना के समय कथित घटनास्थल से 300 मीटर की दूरी पर स्थित अपने घर पर था और पास–पड़ोस से जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचा था। पुलिस कर्मियों द्वारा प्रार्थी से घटना में संलिप्त व्यक्तियों से नाम पूछा गया और न बताने पर उसे भी प्रस्तुत मामले में लिप्त दिखाकर नामित कर दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को थाना स्थानीय की पुलिस तलाश कर रही है और कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। पैमाइश शुदा भूमि से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई वास्ता सरोकार नहीं है और न ही उक्त भूमि उसके नाम से है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई दोषसिद्धि का आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा तथा पुलिस या न्यायालय जब भी तलब करेगी, वह स्वयं के खर्च पर उपस्थित होगा। वह मामले से भिज्ञ किसी व्यक्ति को मामले से सम्बन्धित किसी ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई उत्प्रेरणा, धमकी या बचन नहीं देगा। बिना न्यायालय की अनुज्ञा के अधिरोपित शर्तो का पूर्णतया पालन करेगा। पर्याप्त चल एवं अचल सम्पत्ति है। जमानत मुचलका देने को तैयार है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाय।

5. अभियुक्त संतोष सोनकर उपरोक्त के उक्त प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर उक्त आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाय।

6. मैने अभियुक्त उपरोक्त के इस प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुना व पत्रावली तथा थाने से प्राप्त आख्या व केस डायरी का सम्यक् अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनाँकित 27.06.2026 समय करीब 15:00 बजे के बाबत वादी मुकदमा राजस्व निरीक्षक वीर बहादुर द्वारा दी गयी तहरीर पर दिनाँक 27.06.2026 को समय 18:19 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त

नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट संख्या– सी.43529/2025 मंतरा देवी बनाम स्टेट आफ यू.पी. एण्ड दो अन्य में पारित आदेश दिनाँकित 09.03.2026 के अनुपालन में राजस्व टीम द्वारा पुलिस बल के साथ की जा रही सीमांकन कार्यवाही के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सीमांकन कार्य का विरोध करते हुए राजस्व टीम को धमकी दी गयी तथा महिला आरक्षी रिशू सिंह द्वारा मामले का विडियो बनाये जाने पर उसका मोबाइल छीनकर उसे जान से मारने की नियत से पटक कर उसका गला दबाया गया तथा अन्य पुलिस बल एवं राजस्व टीम के लोगों द्वारा बचाये जाने के लिए दौड़ने पर उनपर ईंट–पत्थर से हमला किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा संख्या–1 दिनाँकित 27.06.2026 में वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया है, जिसमें उसके द्वारा घटना का समर्थन करते हुए अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि मौके पर मौजूद विपक्षीगण ने षड़यन्त्रपूर्वक जान–बूझकर स्वयं अपने शरीर पर चोटें पहुंचायी जिससे पुलिस व राजस्व टीम पर दबाव बनाया जा सके और सीमांकन की कार्यवाही को बाधित किया जा सके। यह सब कुछ पूर्व नियोजित षड़यन्त्र के तहत किया गया था। केस डायरी के पर्चा संख्या–1 में ही महिला आरक्षी रिशू सिंह का बयान विवेचक ने अंकित किया है, जिसमें उसने अन्य बातों के अलावा यह कहा है कि स्थिति की वीडियोग्राफी हेतु जैसे ही मैने अपना ओप्पो के–10 मोबाइल निकाला, तभी सोनी देवी ने मेरा मोबाइल छीन लिया तथा गीता देवी, नगीना कुमारी व अन्य लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे ईंट से प्रहार किया गया जिससे मेरे सीने पर चोट लग गयी और मैं गिर गयी जिससे मैं अचेत हो गयी। महिला आरक्षी अंशिका यादव ने भी केस डायरी के पर्चा संख्या–1 में विवेचक को दिये गये बयान में अन्य बातों के अतिरिक्त यह कहा है कि पप्पू सोनकर द्वारा जरीब छीन ली गयी। उसी दौरान महिला आरक्षी रिसू सिंह द्वारा वीडियो बनाने हेतु मोबाइल निकालते ही अभियुक्त ने उन पर हमला कर दिया। सोनी देवी द्वारा उनका मोबाइल छीन लिया गया तथा अन्य अभियुक्तों ने ईंट से प्रहार कर जिससे उसके सीने में चोट लगी और वह गिरकर बेहोश हो गयी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार राजस्व टीम द्वारा पुलिस बल के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मौके पर किये जा रहे सीमांकन कार्य के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तों के साथ सीमांकन का कार्य का विरोध किये जाने तथा उक्त विरोध का महिला आरक्षी रिशू सिंह द्वारा मोबाइल से वीडियो बनाये जाने के दौरान उसका मोबाइल छीन लेना तथा उसपर हमला कर उसका गला दबाकर जान से मारना कहा गया है। यद्यपि कि विवेचक को दिये गये बयान में महिला आरक्षी ने सह–अभियुक्ता सोनी देवी द्वारा उसका मोबाइल छीना जाना तथा अन्य सह–अभियुक्त ईंट–पत्थर चलाया जाना कहा गया है। किन्तु उसका गला दबाकर जान से मारने की बात नहीं कही गयी है। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राजस्व टीम द्वारा मौके पर किये जा रहे सीमांकन कार्य के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तों के साथ सीमांकन का कार्य का विरोध करते हुए घातक आयुधों से लैश होकर बलवा कारित किये जाने तथा महिला आरक्षी रिशू सिंह द्वारा मोबाइल से वीडियो बनाये जाने के दौरान उसका मोबाइल छीन लेने तथा उसपर हमला कर मारने–पीटने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया जाना कहा गया है। प्रस्तुत मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित किये गये साक्ष्यों से प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होती है। ऐसे गम्भीर प्रकृति के

मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार होना नहीं पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त संतोष सोनकर पुत्र खट्टू सोनकर की ओर से थाना– मुगलसराय, जनपद– चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या– 318/2026 अन्तर्गत धारा– 221, 224, 125, 190, 191(3), 309(4), 115(2), 110, 352, 351(3) व 317(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः 13.07.2026

(अशोक कुमार–XI)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

स्टेनोग्राफर– राजीव कुमार सिंह